

निर्णय बड़जलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 69/2017/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 17.07.2019

अनवान

1. श्री रतनलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—वादी

बनाम

1. गोरधनलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 01. श्री राजेश समदानी वकील वादी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित तहसीलदार देवगढ़ से बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। अतः बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण 1 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी पृथक - पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-

ग्राम कमेरी

1. श्री रतनलाल, गोरधनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
121	0.05	आ.चा.	-
योग - 1	0.05	-	-

2. रतनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
122/2	0.18	पाली - 0.03 कु 1 - 0.15	5.25
124	0.05		

125/2	1.18	मगरी 0.18 बीड 1	0.05 0.31
योग - 3	3.01	-	5.86

3. गोरधनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
120/1	0.05	हकत 3	-
122/1	0.10	कु - 1	3.00
123	0.12	पाली - 0.01 खाडी - 0.05	0.63
125/1	1.00	कु 2 - 0.06 बीड 2	1.00 0.31
योग - 4	2.07	-	5.94

वादीगण वादग्रस्त कुलिया भूमि के लगान की 5 गुणा राशि के नोन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेश करने पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

  
 सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द

डिग्री व मुकदमे इब्तदाई  
निर्णय बईजलास श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी देवगढ़

प्र0सं0 69/2017/रे0वाद/

निर्णय दिनांक :- 17.07.2019

अनवान

1. श्री रतनलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— वादी

बनाम

1. गोर्धनलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब देवगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री राजेश समदानी वकील वादी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरू .....  
मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि  
वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ का बंटवाडा  
प्रस्ताव :-

ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी :-  
ग्राम कमेरी

1. श्री रतनलाल, गोर्धनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
121	0.05	आ.चा.	-
योग - 1	0.05	-	-

2. रतनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
122/2	0.18	पाली - 0.03 कु 1 - 0.15	5.25
124	0.05	हकत 1	0.25
125/2	1.18	मगरी 0.18 बीड 1	0.05 0.31
योग - 3	3.01	-	5.86

3. गोर्धनलाल पिता गिरधारी गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से व खाते :-

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
120/1	0.05	हकत 3	-
122/1	0.18	-	-

  
सहायक कलक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

		खाडी - 0.05	
125/1	1.00	कु 2 - 0.06 बीड 2	1.00 0.31
योग - 4	2.07	-	5.94

नीज ..... मुबलिग ..... बाबत .  
 ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... फीसदी  
 सालना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... का अदा करें।  
 बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17 मास जुलाई सन् 2019 को जारी की  
 गयी।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द

मुद्दई	रुपया	पै0	मुद्दायला	रुपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील)पर	0	00
महनताना वकील )पर	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	फीस कमीशनर	0	00
फीस कमीशनर	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	मुतफरिंक	0	00
मुतफरिंक	2	00		0	
			मिजान		
मिजान					
	5	00		00	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिएं।

21/0  
 सहायक कलक्टर  
 सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी  
 देवगढ़ जिला-राजसमन्द